International Journal of Arts, Humanities and Social Studies

ISSN Print: 2664-8652
ISSN Online: 2664-8660
Impact Factor: RJIF 8
IJAHSS 2023; 5(1): 37-40
www.socialstudiesjournal.com
Received: 10-11-2022
Accepted: 15-12-2022

शोभा कुमारी
M.A. Sociology, ग्राम – डुमरी, पो०– श्रीरामपुर, थाना – अशोक पेपर मील, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
शोभा कुमारी
M.A. Sociology, ग्राम – डुमरी, पो०– श्रीरामपुर, थाना – अशोक पेपर मील, दरभंगा, बिहार, भारत

ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं में परम्परागत एवं आधुनिक वैवाहिक रीतियाँ : एक अध्ययन

शोभा कुमारी

DOI: https://doi.org/10.33545/26648652.2023.v5.i1a.44

प्रस्तावना

प्राचीन काल से वर्तमान तक विवाह के स्वरूप और रीति–रिवाजों में बहुत अधिक विभिन्नता आने लगी है लेकिन सच यही है कि आज भी वैवाहिक संबंध सदस्यों तथा रिश्तेदारी द्वारा तय किया जाता था। वहीं आधुनिकीकरण के प्रभावों के कारण प्रेम विवाह का प्रचलन भी बढ़ा है। धार्मिक दृष्टि, विशेषकर हिन्दू धर्म से विवाह किस विधि–विधान से किया जाता है इसमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है तथा वहीं प्राचीन समय में विवाह के कई रीति–रिवाज प्रचलन में थे, जैसे दूल्हे का घोड़ी पर चढकर वधू के घर पहुँचना लेकिन वर्तमान समय में कार में बैठकर अथवा अन्य साधनों से दूल्हे का आना प्रारंभ हो गया। मनु को मानवजाति का जनक माना जाता है और यह धारणा है कि सभी इंसान मनु के ही पुत्र हैं। संस्कृत भाषा में मनुष्य को मानव कहा जाता है जो कि मनु के नाम पर ही आधारित है।

मनुस्मृति में मनुष्य की प्रत्येक भूमिका का उल्लेख किया गया है, जिसमें विवाह भी शामिल है। मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाह रीतियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से आरंभिक चार को अनुमोदित और अन्य चार को निंदित करार दिया गया है। राक्षस व पैशाच विवाह को निकृष्ट माना जाता है। महिला के साथ दुष्कृत्य पश्चात् रिपोर्ट होने पर विवाह के लिए तैयार होना पैशाच विवाह ही कहा जायेगा। परम्परागत रूप से ग्रामीण महिलायें बेरोजगारी का सामना करती रही है। लम्बे समय तक उसका कार्य घर के इर्द–गिर्द ही रहा है जैसे– बच्चों का देख–भाल रसोई का कार्य, घर का कार्य, कृषि में पति का सहयोग करना इत्यादि । चूंकि परिवार चलाने के लिए महिला का इस कार्य का होना भी आवश्यक है, किन्तु इन कार्यों से महिलायें पुरुषों को कार्य करने में एक तरह का केवल सहयोग ही किया है इससे इनको कभी आय प्राप्त नहीं हुआ बल्कि वह पति पर निर्भर होकर रह गयी और चाहकर भी अपनी इच्छा के अनुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पायी है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की यह स्थिति आज भी व्याप्त है।

विवाह एवं वैवाहिक रीतियाँ : हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। परिवार के संगठन की आधारशिला के रूप में विवाह की संस्था आदिमकाल से विवाहित युग तक एक–दूसरे के सम्बन्धों, उनके नातेदारों, उनकी सन्तानों तथा समाज की व्याख्या का नियन्त्रण करती रहती है। विवाह संस्था एक ऐसा आधारस्तम्भ है जिससे मानव का अस्तित्व बना रहता है। समष्टि की निरन्तरता सन्तानों पर निर्भर करती है, सन्तानों की उत्पत्ति जन्म पर आधारित होती है और जन्म के लिए किसी न किसी रूप में स्त्रियों और पुरुषों का लैंगिक सम्बन्ध आवश्यक है। लैंगिक सम्बन्धों को व्यवस्थित करने के लिए विवाह नामक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। अतः स्पष्ट है कि विवाह की संस्था संतानों को जन्म देकर समष्टि का ताना–बाना तैयार करती है। लॉबी के अनुसार – विवाह उन स्पष्टतः स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो इन्द्रिय सम्बन्धी सन्तोष के उपरान्त भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन का आधार स्तम्भ बनता है।

वेस्टरमार्क के शब्दों में षविवाह एक अथवा अधिक पुरुषों का एक अथवा अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है जो प्रथा अथवा कानून द्वारा स्वीकृत होता है तथा जिसमें संगठन में आने वाले दोनों पक्षों तथा उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार तथा कर्त्तव्यों का समावेश होता है।

हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। एक संस्कार का आशय शुद्धिकरण अर्थात् जीवन को पवित्र करने और परिष्कृत करने वाले धार्मिक अनुष्ठान द्य हिन्दू दर्शन में विवाह संस्कार को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। हिन्दू दर्शन के अनुसार जब स्त्री को जीवनसंगिनी कहा जाता है तो इसका आशय होता है कि ऐसी स्त्री जो पुरुष का पत्नी के रूप में जीवन भर साथ निभाएँ।

जब उसे अर्धांगिंनी कहा जाता है तो इसका आशय यह होता है कि पति–पत्नी मिलकर एक पूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। इसी से धार्मिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। इस प्रकार हिन्दू विवाह स्त्री–पुरुष के मध्य धर्मपालन की दृष्टि से एक ऐसा संस्कार है जो जन्म–जन्मान्तर के सम्बन्धों की धारणा पर आधारित है। चूँकि हिन्दू विवाह पवित्र मंत्रों और धार्मिक रीति–रिवाजों द्वारा ही सम्पन्न होता है, इसलिए इसे पवित्र बन्धन माना जाता है।

महाभारत के एक पुरातन आख्यान से पता चलता है कि पति – पत्नी के रूप में स्त्री–पुरुष के स्थायी संबंधों की नींव ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने रखी थी। इस आख्यान के अनुसार पुरातन काल अर्थात् वैदिक पूर्व काल में कभी मानव समाज में भी स्त्री–पुरुष के यौन संबंध अनियमित थे तथा स्त्रियों में यौन स्वतंत्रता (यौन साम्यवाद) की स्थिति थी और इस पशुकल्प स्थिति का अंत किया था, श्वेतकेतु ने प्रस्तुत आख्यान के अनुसार जब श्वेतकेतु ने अपनी माँ को अपने पिता के सामने ही बलवत् एक अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ चलने के लिए विवश करते देखा, तो उससे रहा न गया और वह क्रुद्ध होकर इसका प्रतिरोध करने लगा। इस पर उसके पिता उद्दालक ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, यह पुरातन काल से चली आ रही सामाजिक परंपरा है। इसमें कोई दोष नहीं, किंतु श्वेतकेतु ने इस व्यवस्था को एक पाशविक व्यवस्था कह कर इसका विरोध किया और स्त्रियों के लिए एक पति की व्यवस्था का प्रतिपादन किया ।

भारतीय इतिहास में एक मान्य सामाजिक संस्था के रूप में विवाह संस्कार का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। विवाह संस्कार में प्रयुक्त किये जाने वाले सभी वैदिक मंत्रों का संबंध ऋग्वेद में वर्णित सूर्य एवं सूर्या के विवाह से होना इस तथ्य का निर्विवाद प्रमाण है कि इस युग में आर्यों की वैवाहिक प्रथा अपना आधारभूत स्वरूप धारण कर चुकी थी तथा विवाह संस्कार से सम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं में परम्परागत एवं आधुनिक वैवाहिक रीतियों : ..... सभी प्रमुख अनुष्ठान – पाणिग्रहण, हृदयालभन, अश्मारोहण, ध्वजदर्शन, सप्तपदी 97 आदि अस्तित्व में आ चुके थे। उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में हमें इनका उल्लेख अथर्ववेद में तथा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है।

हिन्दू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह– विवाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है – विशेष रूप से (उत्तरदायित्व का) वहन करना हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म–जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे लेकर ध्रुव तारा को साक्षी मानकर और सात पाँच वचन सुनाये जाते हैं तब दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। भारत में अनेक राज्य हैं और इन राज्यों में अनेक धर्मों, वेष–भूषा एवं भिन्न भाषा के लोग रहते हैं, उन सभी में विवाह करके जीवन निर्वहन का तरीका भिन्न होता है लेकिन यह अवश्य है कि उनमें वैवाहिक रीतियाँ भिन्न है।

विवाहित स्त्री के पास इस बात का कोई विकल्प नहीं होता कि यदि विवाहित जीवन जीना है तो उसी परिवार में ही जीना होगा। यह डर भी उन्हें कोई प्रतिकूल कदम उठाने से रोक देता है। इसके विपरीत शहरी जीवन में, महिलाओं का पूर्ण शिक्षित होना, नौकरी, व्यवसाय आदि हर क्षेत्र में भागीदारी और सबसे बढ़कर अपने सभी कानूनी, सामाजिक अधिकारों की भलीभांति जानकारी ही वे मुख्य कारण हैं जो शहरों में तलाक के चलन को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सबके साथ–साथ एक सबसे बड़ी वजह है शहरों में समाज किसी भी सामाजिक बंधन से बंधे न होने का एहसास शहरों में आज लोग इतने संकुचित हो गये हैं कि उन्हें सिर्फ अपने परिवार अपनी समस्याओं से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे में कोई क्यों किसी के पारिवारिक जीवन को बचाने या तोड़ने में अपना समय गंवाएगा। जहाँ तक अभिभावकों की भूमिका की बात है तो यह बात अब अक्सर देखने और सुनने को मिल जाती है कि कई बार तो घर सिर्फ इस कारण से टूटते हैं, क्योंकि बनती हुई बात को पति या पत्नी के माता–पिता या किसी प्रभावी रिश्तेदार ने अपनी नाक का प्रश्न बनाकर उसे और बिगाड़ कर रख दिया।

लड़कियों का शिक्षित होना, न सिर्फ शिक्षित बल्कि समाज के हर सक्रिय पेशे में प्रभावी रूप से सक्रिय होना, इतना कि वे अपने जीवन से जुड़े हर निर्णय को खुद ही ले सकें भी परिवार के टूटने का कारण बन रहा है। दरअसल आज भले ही विकास के मायने बदल चुके हैं, पारिवारिक संरचनाएँ भी परिवर्तित हो रही हैं किंतु इन सबके बाबजूद आज भी भारतीय परिवारों में महिलाओं की भूमिका और उनसे घरेलू जिम्मेदारियों की जो अपेक्षा है वो हमेशा की तरह वही पुरातनकाल की है जबकि आज के समय में न तो यह स्वाभाविक है और न ही अपेक्षित। ऐसे में ये स्थितियाँ उत्पन्न होना कोई अप्रत्याशित नहीं लगता और देर सबेर परिवार के टूटने के हालात आ ही जाते हैं। तलाक की यह बढ़ती प्रवृत्ति अपने साथ न सिर्फ कई सामाजिक विसंगतियाँ ला रही है बल्कि स्वयं तलाकशुदा महिलाओं और उस दंपति के बच्चों को हाशिये पर लाने का काम कर रही है। गौरतलब है कि तलाकशुदा महिलाओं को भारत में किसी भी तरह का कोई विशेषाधिकार या आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। चाहे लाख दावे किये जाएं, बेशक इस तरह की दलील दी जाती रहे कि तलाकशुदा महिलाओं की जिंदगी पर तलाकशुदा होने का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता या तलाक से जिंदगी खत्म नहीं होती, मगर हकीकत तो यही है कि तलाकशुदा महिला की आज भी भारतीय समाज में बिल्कुल अलग–थलग स्थिति हो जाती है। जो नौकरी पेशा में हैं या आत्मनिर्भर हैं, वे तो फिर भी जैसे–तैसे खुद के जीवन को व्यस्त और दुरूस्त कर पाती हैं मगर उनकी हालत तो बहुत ही ज्यादा दयनीय हो जाती है जो न ससुराल में रह पाती हैं और तलाक के बाद जिन्हें मायके में भी बहुत सी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो दोनों ही स्थान में रहना नहीं चाहती और अपना अलग निवास बनाती हैं, उन्हें भी इस समाज की रूढ़िवादिता से अलग–अलग रूपों से रूबरू होना ही पड़ता है। सबसे दुखद बात तो यह है कि सरकार, महिला संरक्षण संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थानों आदि ने अभी तक इस विषय में कुछ भी गंभीरतापूर्वक सोचा या किया नहीं है। अलबत्ता आवेदन पत्रों पर महिलाओं से उनकी वैवाहिक स्थिति के बारे में जरूर ही जाना जाता है। कानून में भी इन तलाकशुदा महिलाओं के लिये सिर्फ उनके पति या ससुराल से ही कुछ भी दिलाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

इस संस्कार में वर–वधू यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा चित्त एक– सा हो हममें किसी प्रकार का भेद–भाव न हो। इस प्रकार उनका गृहस्थ जीवन सुख, शांति और समृद्धि पूर्ण होगा और कोई कलह न होगा और उनकी संतान भी उत्तम होगी। विवाह का शाब्दिक अर्थ है वर का वधू को, उसके पिता के घर से अपने घर ले जाना। किंतु यह शब्द उस पूरे संस्कार का द्योतक है, जिससे यह कार्य संपन्न किया जाता था। इस संस्कार के बाद ही व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार इस संस्कार के दो प्रमुख उद्देश्य थे। मनुष्य विवाह करके देवताओं के लिए यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता था और पुत्र उत्पन्न कर सकता था।

दूसरे शब्दों में, इस संस्कार के द्वारा व्यक्ति का पूर्ण रूप से समाजीकरण हो जाता था। संतानोत्पत्ति द्वारा वह अपने वंश को जीवित रखने और उसको शक्तिमान बनाने और यज्ञों द्वारा समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य पूरा करने की प्रतिज्ञा करता था। साथ ही वह व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों को पूरा करके, धर्म संचय करके अपने जीवन के लक्ष्य– मोक्ष की ओर अग्रसर होता था। भारतीयों की धारणा थी कि बिना पत्नी के कोई व्यक्ति धर्माचरण नहीं कर

सकता। मनु के अनुसार इस संसार में बिना विवाह के स्त्री–पुरुषों के उचित संबंध संभव नहीं है और संतानोत्पत्ति द्वारा ही मनुष्य इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है। प्राचीन भारत में यह समझा जाता था कि पत्नी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्रोत है।

पुत्री का विवाह करना पिता का परम कर्त्तव्य समझा जाता था । यदि यौवन प्राप्त करने पर भी कन्या के अभिभावक उसका विवाह न करें, तो वे बड़े पाप के भागी होते थे। धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि ऐसी दशा में कन्या स्वयं अपने लिए योग्य वर ढूढ़ कर विवाह कर सकती थी ।

गृहसूत्रों में विवाह संस्कार के लिए उपयुक्त समय, वर और वधू की योग्यताएँ और विवाह संस्कार के विभिन्न चरणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार वधू कुमारी होनी चाहिए और वर की माता की सपिंड संबंधिनी और वर के गोत्र की नहीं होनी चाहिए। सपिंड का अर्थ है माता के – पूर्वजों में छः पीढ़ी और उसके निकट संबंधियों की संतान में छः पीढ़ी। विद्वानों का मत है कि गोत्र उस पूर्वज ऋषि के नाम पर है जिसके सभी व्यक्ति संतान हैं। इन प्रतिबंधों का यह उद्देश्य था कि अति निकट संबंधियों में वैवाहिक संबंध न हों। माता– पिता के संतान के साथ या भाई–बहन के अवांछनीय वैवाहिक संबंध का भय ही संभवतः इन प्रतिबंधों का मूल कारण था।

मनु के अनुसार उन परिवारों की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, जो धर्म पालन न करतें हों, वेद न पढ़ते हों, जिनमें पुत्र जन्म न होता हो या जिसमें कुछ पुराने रोग हों, क्योंकि पुत्र न होना और रोगों का पैतृक प्रभाव भावी संतान पर हो सकता था। वात्स्यायन ने भी वधू में उक्त अभीष्ट गुणों का होना अनिवार्य माना है। मनु ने वर की योग्यता का विशेष विवरण नहीं दिया है, किंतु याज्ञवल्क्य और नारद ने दिया है। उनके अनुसार वर, वेदों का जानने वाला, चरित्रवान, स्वस्थ, बुद्धिमान और कुलीन होना चाहिए। गृहसूत्र में विवाह संस्कार के निम्न चरण बताये गये हैं–

- पहले वर पक्ष के लोग कन्या के घर जाते थे।
- जब कन्या का पिता अपनी स्वीकृति दे देता था, तो वर यज्ञ करता था।
- विवाह के दिन प्रातः वधू को स्नान कराया जाता था।
- वधू के परिवार का पुरोहित यज्ञ करता था और चार या आठ विवाहित स्त्रियाँ नृत्य करती थीं।
- वर कन्या के घर जाकर उसे वस्त्र, दर्पण और उबटन देता था ।
- कन्या औपचारिक रूप से वर को दी जाती थी। (कन्यादान)
- वर अपने दाहिने हाथ से वधू का दाहिना हाथ पकड़ता था । (पाणिग्रहण)
- पाषाण शिला पर पैर रखना।
- वर का वधू को अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा कराना। (अग्नि परिणयन)
- खीलों का होम (लाजा– होम)
- वर– वधू का साथ–साथ सात कदम चलना (सप्तपदी) जिसका अभिप्राय था कि वे जीवन–भर मिलकर कार्य करेंगे।

प्रत्येक धार्मिक कृत्यों में अग्नि में आहुति दी जाती थी और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था । उपर्युक्त धार्मिक कृत्यों में कन्यादान, विवाह होम, पाणिग्रहण, अग्नि–परिणयन, अश्मारोहण, लाजा– होम और सप्त– पदी बहुत महत्त्वपूर्ण थे।

कन्यादान : कन्यादान का अर्थ है कि कन्या का पिता या अभिभावक उसे वर को देता और वर उसे स्वीकार करता था, तब पिता वर से कहता था कि तुम धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों में अपनी पत्नी का सहयोग लेना और वर तीन बार प्रतिज्ञा करता था कि वह ऐसा ही करेगा।

पाणिग्रहण : विवाह के होम के बाद पाणिग्रहण होता था, जिसमें पति प्रतिज्ञा करता था कि तुम्हारे पति के रूप में रहने की इच्छा से मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुम यह भली–भांति समझ लो कि देवताओं ने तुम्हारा शरीर मुझे इसलिए दिया है कि मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ के कर्त्तव्यों को पूरा कर सकूँ।

अग्नि परिणयन में पंति अग्नि और जल कलश की तीन बार परिक्रमा करता था और पत्नी उसका अनुसरण करती थी। इस समय वर कहता था कि मैं आकाश हूँ और तुम पृथ्वी हो। मैं साम (संगीत) हूँ, तुम कविता हो। इसलिए हम विवाह कर रहें हैं अर्थात हम दोनों के जीवन में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। हम प्रेम से रहें और संतान उत्पन्न करें, हमारा जीवन निष्कलंक हो । इस प्रकार हम दोनों सौ वर्ष जियें । इसी के साथ अश्मारोहण की क्रिया होती है, जिसमें वर की सहायता से वधू पाषाण शिला पर पैर रखती है। उस समय वर कहता है कि तेरा प्रेम मेरे प्रति इतना दृढ़ हो, जितनी कि यह पाषाण शिला है। इसके बाद सप्तपदीश होती है, जो विवाह संस्कार का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें वर–वधू साथ–साथ सात कदम रखते हैं और वर कहता है कि जीवन की स्फूर्ति, शक्ति, धन, संतान और दीर्घ सौभाग्य–पूर्ण जीवन के लिए हम ये सात कदम रख रहे हैं। तुम मेरी जीवन संगिनी बनो, जिससे कि हम दीर्घायु होकर धार्मिक कृत्य कर सकें और संतान उत्पन्न कर सकें।

संस्कार के बाद वर वधू को लेकर अपने घर जाता था। उस समय पिता अपनी पुत्री को शिक्षा देता था कि मैं आज से तुझे अपने घर से मुक्त करता हूँ। मैं तुझे अब पति के घर का बंदी बनाता हूँ, जिससे कि इंद्र तुझे समृद्धिशालिनी और पुत्रवती बनाए ।

प्राचीन काल में वर–वधू विवाह संस्कार के चौथे दिन सहवास करते थे, इससे स्पष्ट है कि विवाह के समय वर और वधू दोनों ही बड़ी अवस्था में होते थे। बाद में कन्याओं का विवाह कम आयु में होने लगा। जो धार्मिक क्रियाएँ विवाह संस्कार के समय की जाती थी, उनसे स्पष्ट है कि विवाह संविदा नहीं था बल्कि पवित्र बंधन था। विवाह करते समय पति–पत्नी का प्रमुख उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम तीन पुरुषार्थों को करने योग्य बनाना था, जिससे कि अंत में जीवन के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अग्नि के समक्ष विवाह संस्कार के महत्त्व को वात्स्यायन ने स्पष्टतः इस प्रकार बतलाया है कि जो विवाह संस्कार अग्नि को साक्षी बनाकर किया जाता है, उसमें पति–पत्नी का विवाह विच्छेद संभव नहीं है।

सगाई में अंगूठी पहनाना : शादी से पहले की सबसे खास रस्म होती है सगाई । जिसमें हिन्दू धर्म के अनुसार सगाई वाले दिन वर–वधू एक दूसरे को बाएँ हाथ की चौथी उंगली (अनामिका उंगली) में अंगूठी पहनाते हैं। सगाई की रस्म अंगूठी पहनाकर ही सम्पन्न होती है। वैज्ञानिक तर्क शरीर विज्ञान के अनुसार रू बायें हाथ की चौथी उंगली में एक ऐसी नस होती है जो सीधे दिल से जुड़ी होती है। इस उंगली में अंगूठी पहनने पर उस नस पर दबाब पड़ता है जिससे दिल तक रक्त संचार सुचारू रूप से होता है और दिल मजबूत होता है। तथा अंगूठी पहनाने वाले की याद दिल में हमेशा रहती है और उसके लिए प्यार बना रहता है।

शरीर पर हल्दी का लेप लगाना : शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को हल्दी 101 का लेप लगाया जाता है। परम्परा के अनुसार शादी से पहले हल्दी लगाने पर चेहरे पर निखार आता है तथा वर–वधू बुरी नजर से बचे रहते हैं। वैज्ञानिक तर्क रू हल्दी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं तथा हल्दी एंटी–सेप्टिक भी होती है। हल्दी लगाने से त्वचा सम्बन्धी रोग, इन्फेक्शन या शारीरिक दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं तथा चेहरे और त्वचा पर प्राकृतिक निखार आता है। हल्दी लगाने से वर–वधू को शादी के समय थकान महसूस नहीं होती है।

हाथ पैरों पर मेंहदी लगाना शादी से पहले दूल्हा तथा दुल्हन के हाथ–पैरों में मेंहदी लगाई जाती है। परम्परा के अनुसार मेंहदी लगाना शुभ होता है। मान्यता के अनुसार हाथों में मेंहदी का रंग जितना गहरा चढ़ता है, वर तथा वधू के बीच उतना ही गहरा प्यार होता है। इसलिये मेंहदी को शगुन माना गया है। वैज्ञानिक तर्क रू विज्ञान के अनुसार मेंहदी में एंटिसेप्टिक गुण होते हैं। मेंहदी लगाने से शरीर को ठंडक मिलती है जिससे तनाव, सिरदर्द और बुखार से राहत मिलती है। इसलिये शादी से पहले इन बीमारियों से बचाने के लिए वर तथा वधू को महंदी लगाई जाती है।

अग्नि के चारों ओर फेरे लेना : शादी की सबसे मुख्य रस्म है अग्नि के चारों और सात फेरे लेना। जब तक यह रस्म पूरी नहीं हो जाती तब शादी नहीं मानी जाती है। इसीलिए वर तथा वधू अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाकर सात फेरे लेते हैं। वैज्ञानिक तर्क–अग्नि जलाने से नकरात्मक ऊर्जा दूर होती है। अग्नि में आम, चन्दन की लकड़ियाँ, घी, चावल, सामग्री आदि चीजें डाली जाती हैं। जिनके जलने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है तथा शांति का माहौल बनता है। जिससे वहाँ उपस्थित लोगों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तथा मानसिक शांति मिलती है तथा वर–वधू में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

माँग में सिंदूर भरना : हिन्दू धर्म के अनुसार शादी के दिन दूल्हा, दुल्हन की माँग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार करता है। जिसके बाद दुल्हन हमेशा अपनी माँग में सिंदूर भरती है। माँग में सिंदूर भरा होना शादीशुदा होने का प्रतीक है। वैज्ञानिक तर्क–शरीर विज्ञान के अनुसार माँग भरने वाली जगह पर यानि माथे से लेकर सिर के बीच तक दिमाग की एक बहुत महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील ग्रंथि होती है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं जब इस जगह सिंदूर लगाया जाता है तो यह एक औषधि का कार्य करता है जिससे दिमाग शांत रहता है।

शादी के बाद महिला पर गृहस्थी का दबाव आ जाता है जिससे उसे तनाव, चिंता अनिद्रा, सिरदर्द आदि बीमारियाँ घेर लेती हैं। सिंदूर में हल्दी, चूना तथा पारा होता है। पारा दिमाग को ठंडा रखता है। इसलिये माँग में सिंदूर भरा की वजह से पत्नी के मन में सेक्स की इच्छा बनी रहती है, जो शादीशुदा जाता है। ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। दूसरा कारण ये भी है कि पारे की वजह से पत्नी के मन में सेक्स की इच्छा बनी रहती है, जो शादीशुदा जिन्दगी के लिए बहुत जरूरी है और इसी वजह से कुँवारी लड़कियाँ तथा विधवा स्त्रियाँ अपनी माँग में सिंदूर नहीं भरती हैं।

हाथों में चूड़ियाँ पहनना भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्रियों का शादी के बाद चूड़ियाँ पहनना बहुत जरूरी है चूड़ियाँ सुन्दरता में भी चार चाँद लगा देती हैं।

मान्यता के अनुसार चूड़ियाँ पति के नाम की पहनी जाती है। वैज्ञानिक तर्क– हाथों की कलाइयों में कई एक्यूप्रेशर बिन्दु होते हैं। चूड़ियों से इन बिंदुओं पर दबाब पड़ता है जिससे रक्त प्रवाह सही रहता है। जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि विवाह दो आत्माओं का मिलन है। दो प्राणी अपने अलग–अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों में परमात्मा ने कुछ विशेषतायें और कुछ अपूर्णताऐं दे रखी हैं। विवाह से एक दूसरे की अपूर्णताओं को अपनी विशेषताओं से पूर्ण करते हैं। इसलिये विवाह को मानव जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल है। इसे मानव जाति के सातत्य को बनाए रखने का प्रधान साधन माना जाता है।

संदर्भ

1. डॉ0 राधाकृष्णन – धर्म और समाज, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 1960
2. के0 एम0 कपाडिया : मैरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, कलकत्ता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966
3. आर0 मेहता : सोशियो लीगल स्टेट्स ऑफ वोमेन इन इण्डिया, दिल्ली, 1987
4. ताम्रकर, गोपाल सी, प्रेम विवाह, बी0 आर0 पब्लिसिंग कॉरपोरेशन, दिल्ली, 1987
5. वेकर : भारतीय समाज विज्ञान, समीक्षा, शरद अंक, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 1971–1972.
6. ऋग्वेद : 179.2, शतपथ ब्राह्मण, 111, 5.4.21 10.1.3.1.22.
7. नन्द, बी० आर० : इण्डियन वीमेन, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1976